

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक 15-9-2020

-कार्यालय धाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली/कार्मेली कारन्विलज जीए इन्स्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सचिवी द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आर्सेंटिल नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदी पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन कार्मेली पाठ्यक्रम संघटित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नान्त निर्णय लिया गया।

निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन कार्मेली पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाएँ, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईओ द्वारा उन्हें कक्षाएँ अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सचिवी द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीसीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	कार्मेली इन्स्टीट्यूट जीए कार्मेली, एनएच-23, गोरगंजी, इलाहाबाद स्थान, गोरगंजी।		डिप्लोमा इन कार्मेली	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एनआईसीटीआईओ/पीसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1962 सेमेस्टर विनियमवारी-2018 तथा अन्य विनिर्दिष्ट नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन बर्षीय इन्वीड पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो बर्षीय कार्मेली पाठ्यक्रम हेतु रु०-48,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो बर्षीय पाठ्यक्रमों (दो बर्षीय कार्मेली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सारान द्वारा निर्गत किये जाने वाले सारानादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया



जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(डा० आर०के० सिंह)
सचिव

पृ०स०- प्राशिम/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तद् दिनांक: 15-09-2020

प्रतिलिपि:-प्रधानाचार्य/निदेशक, काशी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी, एन०एच०-23, वाराणसी, इलाहाबाद हाइवे, वाराणसी।

(डा० आर०के० सिंह)
सचिव

परीक्षा परिषद, पब्लिक शिक्षा विभाग एवं पब्लिक शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा केंद्रों को बंद कर दिया गया है तथा केंद्रों को बंद करने में डॉ. मधुसूदन शर्मा द्वारा किये गए पत्रों की प्रतिकृति संबंधी अंतिम निर्देश दिए गए हैं जो संलग्न प्रतिकृति संघटित संस्था को भेजे जा रहे हैं।

- ✓ विद्यार्थी इन सभी परीक्षा केंद्रों में प्रवेश करने वाले संस्थाओं को संलग्न परीक्षा परिषद, द्वारा परीक्षा केंद्रों द्वारा प्रवेश करने के लिए आवश्यक परीक्षा हेतु आवश्यकताएं होने के पूर्व वेबसाइट पर अनुमति प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उनके प्रवेश की (अनुमति) के अभाव में प्रवेश संस्था द्वारा परीक्षा प्रवेश अनुमति नहीं प्राप्त की जायेगी।
- ✓ द्वारा परीक्षा केंद्रों द्वारा परीक्षा हेतु निर्देश संबंधित आवश्यक विवरण का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की पब्लिक प्रोफाइल, भूमि, भवन, लैब-रूम, उपकरण, चयन किए जाने वाले शिक्षक, प्रशासनिक स्टाफ आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ ही शिक्षण के अभाव में संस्था द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित कराई जायेगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में परामर्शित संघटित परीक्षा केंद्रों को प्रवेश करने हेतु निर्देश समिति के द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्देश, भूमि-भवन, लैब-रूम, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किये गए परीक्षा केंद्रों के संस्था में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रवेश किये गए केंद्रों के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के उपरोक्त निर्देशों को यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सामान-सम्पत्ति परामर्शित परीक्षा केंद्रों को समाप्त करने पर परिषद के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुपालन न किये जाने अथवा नहीं का अनुपालन किये जाने की रिपोर्ट में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

(सुनील कुमार शर्मा)
 सचिव

फ़ोन- पब्लिकपरीक्षा सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि-

पब्लिकपरीक्षा KASHI INSTITUTE OF PHARMACY, NH-21, VARANASI ALLAHABAD HIGHWAY, VARANASI


 (सुनील कुमार शर्मा)
 सचिव